

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-14/निजी-988/2026-...../सा०प्र०, पटना-15, दिनांक:...../...../2025

श्रीमती पूनम कुमारी, बि०प्र०से०, को०क्र०-324/24, संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को उनके पुत्र की अस्वस्थता एवं 12वीं की परीक्षा की तैयारी हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-220(A) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-20490, दिनांक 03.11.2025 द्वारा दिनांक 15.10.2025 से 24.02.2027 तक का शिशु देखभाल छुट्टी स्वीकृत किया गया था।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-21802, दिनांक 24.11.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी को संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप, उनके द्वारा दिनांक 27.11.2025 के पूर्वाह्न में पदभार ग्रहण किया गया तथा दिनांक-29.11.2025 से दिनांक-24.02.2027 तक का शिशु देखभाल छुट्टी स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

3. अतः पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-20490, दिनांक 03.11.2025 को विलोपित करते हुए, श्रीमती पूनम कुमारी को दिनांक 15.10.2025 से 26.11.2025 तक कुल 43 दिन के लिए उपभोग किए गए शिशु देखभाल छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 29.11.2025 से 24.02.2027 तक कुल-453 दिन के लिए शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. श्रीमती पूनम कुमारी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

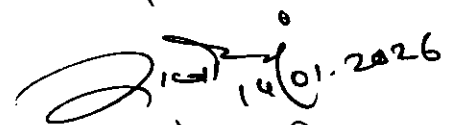
ह०/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/निजी-988/2024-1106.../सा०प्र०, पटना-15, दिनांक: 15/12/2026

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, गन्ना उद्योग, विभाग, बिहार, पटना / श्रीमती पूनम कुमारी, बि०प्र०से०, संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक (I.T.), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (बि०प्र०से० चारित्रि कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव